

7-6-18

आज यह पक्षावली लोक अदालत को  
कैस तह मुसावर में पेरा हुई। वकील  
उमदपक्ष उपा लोक अदालत न्याय आपके  
द्वार" की आवना के मध्यमजर उमद-पक्ष  
को सुना गया। अपीलान्त का मुख्यतः कथन  
यह है कि उसके द्वारा कहे  
है मेरा कोई कहे नहीं है। तब अदालत  
के लक्ष अपीलान्त द्वारा पैमापरा हेतु विवेक  
के बिना कि-उ पैमापरा तह है लकी है।  
यही पैमापरा है जारी है तो फिर  
हमल व लकी है। अपीलान्त के कथन  
पर मजबूत किम एवं पक्षावली का  
अवलोकन किम गया। अपील अपीलान्त  
स्वीकार की जाती है तथा अपीलान्त आदेश  
दिनांक 11.9.17 निरस्त किमा जाता है। तदपीला  
मुखाव को निर्देशित किमा जाता है कि  
वे अपीलान्त के कथनानुसार अपीलान्त के  
रखने की पैमापरा करनायें यदि बाद  
विचित्र पैमापरा अपीलान्त का अतिक्रमण  
पाया जाता है तो वेदवलय की कार्यवाही  
निप्रमानुसार G.L.R. Act के अन्तर्गत अपीलान्त  
के विषय किरे जाने हेतु स्वतन्त्र रटरे व  
आशा सुनाई गई।